गंगा बेसिन संरक्षण अभियान

आधार
कृषक सहभागिता/जन सहभागिता
तथा
केन्द्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं से अभिशरण

प्रस्तुति

पी.एस. ओझा

पूर्व राज्य सलाहकार : एफ.पी.ओ. सेल, कृषि विभाग, उ.प्र.

एवं

पूर्व राज्य समन्वयक एवं सदस्य संयोजक, उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विभाग बोर्ड, लखनऊ

मो. 9415004917

email : ps_ojha@yahoo.com

website: http://pravriddhfoundation.in

गंगा बेसिन का विस्तारः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

▪ गंगा नदी की कुल लम्बाई	:	2525 किमी.
▪ गंगा बेसिन का क्षेत्रफल	:	1086000 वर्ग किमी.
▪ गंगा नदी का जल निकासी क्षेत्रफल	:	862769 वर्ग किमी. (देश के कुल क्षेत्रफल का 26.3 प्रतिशत)
▪ आच्छादित राज्य	:	उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरयाना, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली
▪ जल विभव i. सतही जल ii. भूजल	 : :	 525.02 घन किमी. 170.99 घन किमी.
▪ गंगा बेसिन क्षेत्र में जल का उपयोग	:	सिचाई, पेयजल तथा जल विद्युत उत्पादन एवं जल परिवहन
▪ गंगा की सहायक नदियों की संख्या तथा उनका जल निकासी क्षेत्र i. नदियों की संख्या ii.जल निकासी क्षेत्रफल	 : :	 23 759400 वर्ग किमी.

गंगा जल की गुणवत्ता एवं जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति

धार्मिक मान्यता	:	गंगा जल धार्मिक दृष्टि से सर्व श्रेष्ठ माना गया है।
गंगा बेसिन क्षेत्र में प्रतिदिन सीवरेज की मात्रा	:	लगभग 12000 मिलियन लीटर
एस.टी.पी. क्षमता	:	लगभग 4000 मिलियन लीटर
औद्योगिक जल अपशिस्टों की अनुमानित मात्रा	:	लगभग 20 प्रतिशत : 2400 मिलियन लीटर
उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ और उद्योग जिनके कारण अन ट्रीटेड उत्प्रवाह गंगा नदी में प्रवाहित होता है	:	रामगंगा, काली, गोमती, हिण्डन तथा हैनरीज डिस्टीलरीज़, पेपर मिल तथा अन्य उद्योगों का अन ट्रीटेड जल, गंगा बेसिन क्षेत्र में स्थित छोटे शहरों का अन ट्रीटेड उत्प्रवाह।

गंगा बेसिन संरक्षण में कृषक/जन/एफपीओ सहभागिता एवं नीतिगत फैसलों का योगदान।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति	केन्द्र सरकार
1000 एफ.पी.ओ. गठन नीति	केन्द्र सरकार
नेशनल लाईफ स्टाक नीति	केन्द्र सरकार
पी.एम. सूर्य घर योजना	केन्द्र सरकार
एनीमल हस्बेण्ड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड	केन्द्र सरकार
राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति	केन्द्र सरकार
कृषि अवसंरचना फण्ड	केन्द्र सरकार
उ.प्र. एफ.पी.ओ. नीति	राज्य सरकार
उ.प्र. एफ.पी.ओ. नीति क्रियान्वयन आदेश	राज्य सरकार
उ.प्र. जैव उर्जा विकास नीति	राज्य सरकार
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना	राज्य सरकार
उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण नीति	राज्य सरकार

उपलब्ध सुविधायें:- ब्याज उपादान/प्रतिपूर्ति, पूँजीगत उपादान तथा विभिन्न करो/अधिभारों में प्रतिपूर्ति की सुविधा।

"फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन-एफ.पी.ओ."

(फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी/फार्मर प्रोड्यूसर सोसाईटी)

फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन-एफ.पी.ओ. (किसानों द्वारा किसानें के पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक उन्नयन एवं युवाओं हेतु सतत् रोजगार/स्वरोजगार अवसरों के सृजन का कार्यक्रम) का संचालनः-

- विकेन्द्रीकृत मूल्य संबंर्धन इकाईयों की स्थापना करना।
- किसान की प्रत्यक्ष पहुँच बाजार तक सुव्यवस्थित करना।
- उत्पादों की उचित मूल्य की व्यवस्था करना।
- किसानों की आय वृद्धि की व्यवस्था करना।
- जैव उर्जा स्त्रोतो के विकास के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करना।
- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों की निरन्तरता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करना।

गंगा बेसिन संरक्षण में कृषक सहभागिता/एफ.पी.ओ. सहभागिता/जन सहभागिता के माध्यम से संचालित व्यावसायिक कार्यक्रम

- कृषि अपशिष्ट (ड्राई) से बायोकोल (प्लेट्स तथा ब्रिक्स उत्पादन) कार्यक्रम
- बायो मास संग्रहण कार्यक्रम
- कृषि एवं अन्य जैव अपशिष्ट से सी.बी.जी. उत्पादन कार्यक्रम
- परिवार साईज छोटे बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कार्यक्रम
- औषधीय एवं सगन्ध कृषि क्लस्टरों का सृजन
- जल संरक्षण कार्यक्रम
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम
- प्राकृतिक खेती कार्यक्रम
- पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्यक्रम
- कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम
- गंगा बेसिन वृक्षमाला परियोजना का क्रियान्वयन
- प्रदेश में गंगा के दोनो किनारा की 53 ग्राम पंचायतों में कृषक सहकारी समितियों का गठन एवं वृहद कृषक जागरूकता

उदाहरणार्थ
ए.आई.एफ.- आत्मनिर्भर समन्वित कृषक विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित महत्वपूर्ण घटक एवं उसके उप घटकों की प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया

- लाभार्थियों को कृषि अवस्थापना निधि के आधिकारिक पोर्टल http://agriinfra.dac.gov.in पर आवेदन करना होगा।

- ब्याज प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज उपादान/ प्रतिपूर्ति तथा पूंजीगत उपादान की सुविधा भी इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त की जा सकती है। इसके लिये उक्त पोर्टल पर ही उपलब्ध हाईपर लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

उदाहरणार्थ
ग्राम पंचायत-सतत विकास का केन्द्र बिन्दु
एक संकल्पना।

- ग्राम पंचायत की पूंजी/योगदान-

  जनशक्ति, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन।

- शासकीय/विभागीय योजनाओं का योगदान-

  कृषि, औद्यानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री, एम.एस.एम.ई. ग्राम विकास, पंचायती राज, रेशम इत्यादि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से कन्वर्जन सहायता।

1. औषधीय एवं सगन्ध पौध (बहुवर्षीय प्रजाति) का कृषिकरण, विधायन तथा विपणन
   (फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के द्वारा किये गये अग्रणी प्रयासों के कुछ फोटोग्राफ्स।)

2. बायोमास कल्टीवेशन /प्लाण्टेशन (बहुवर्षीय प्रजाति) का कृषिकरण, विधायन तथा विपणन

3. मनरेगा के अन्तर्गत अनुमन्य 266 परियोजनाओं में ए तथा बी श्रेणी के कार्यों का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन।

4. नदी पुनर्जीवनीकरण कार्य में सहभागिता कर क्षेत्रीय रोजगार एवं स्व रोजगार सृजन में सहयोग करना।

कृषक उत्पादक संगठनों के सतत विकास हेतु आवश्यक तकनीकी विषेज्ञता एवं उच्च गुणवत्ता इनपुटस के मार्गदर्शन/आसान उपलब्धता हेतु क्रियाशील वर्तमान व्यवस्था का स्वरूप

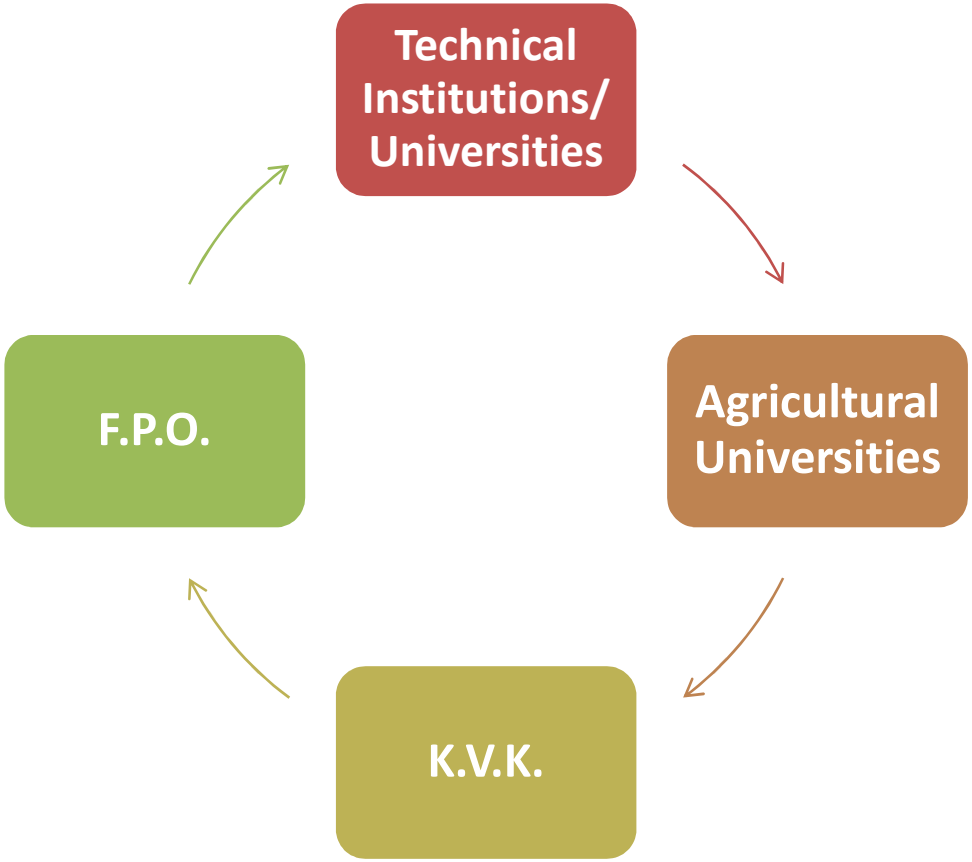

गंगा बेसिन संरक्षण हेतु कुछ सुझाव

- गंगा बेसिन क्षेत्र में एस.टी.पी. के लिये योजना बनाने के स्थान पर उन नालों का नियोजन करें जो गंगा नदी में गिरते हैं।
- बायोरेमिडियेशन/फाईटो रेमिडियेशन तकनीकी के उपयोग को छोटे शहरों/कस्बों में उपयोग में लाये जाने पर निश्चित रूप से विचार करना चाहियें।
- उपचारित जल का उपयोग सिचाई हेतु अथवा शहर/उद्योग में इसे साफ सफाई हेतु उपयोग में लाये जाने को बढावा दिया जाय।
- गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों को दोनो किनारों के पॉच कि.मी. तक के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, बायोमास उत्पादन कार्यक्रम इत्यादि के संचालन पर बल देना होगा।

नदी के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण

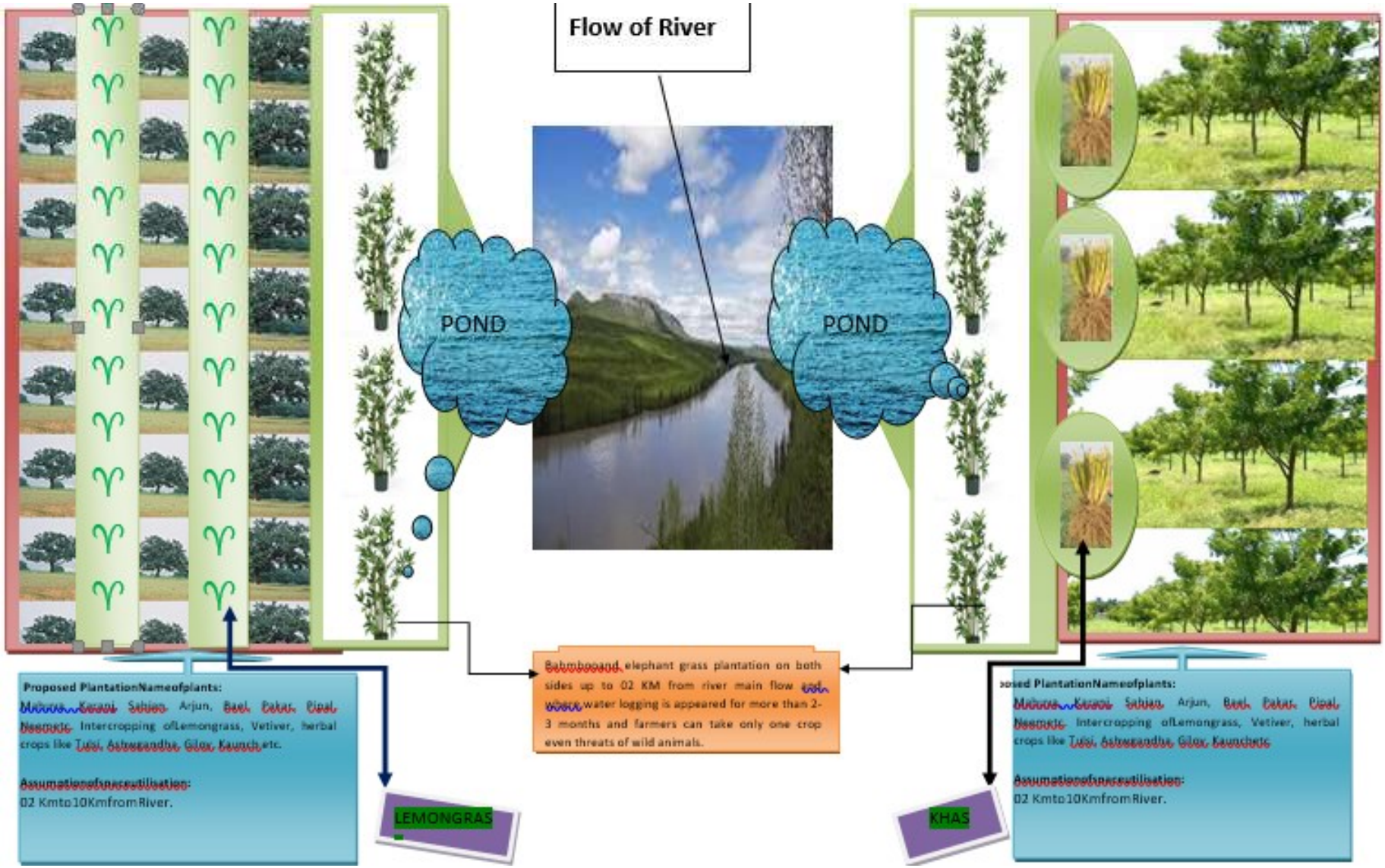

धन्यवाद

जय हिन्द

जय भारत